भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2687

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

पीएमएस-एससी योजना के तहत फ्रीशिप कार्ड

2687. श्री मनोज कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-26 की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुसूचित जाति हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस योजना के दिशा-निर्देशों का विस्तार करते हुए उन्हें आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पीएमएस के अगले योजना चक्र के दिशा-निर्देशों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था को जारी रखने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान पीएमएस-एससी के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यांश के रूप में आवंटित, जारी और वास्तविक रूप से उपयोग की गई निधि तथा पंजीकृत अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या की तुलना में छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार तथा बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित होने से रोकने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा पीएमएस-एससी योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत "शून्य-शुल्क प्रवेश" तथा फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक केंद्र-प्रायोजित योजना लागू करता है। इस योजना के दिशा-निर्देश वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक लागू थे। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं.

41(06)/पीएफसी-II/2018(भाग) (दिनांक 27.04.2026) के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति को 30 सितंबर, 2026 तक या संशोधित योजना को अनुमोदन मिलने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने का अनुमोदन दे दिया है। इसके अनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे विस्तारित अवधि के दौरान योजना के दिशानिर्देशों को लागू करना जारी रखें।

(ग): जी, हां। निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श से योजना की समीक्षा की जाती है और योजना में संशोधन किया जाता है।

(घ): अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत मौजूदा फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) में है। छात्रवृत्ति का केंद्र का हिस्सा जारी किया जाना राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा भुगतान किए गए और अंतिम रूप से सत्यापित डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करने पर निर्भर है। यह योजना 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के तहत लागू की गई है, जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। बिहार राज्य सहित पूरे देश में पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों और संवितरित राशि का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ड.): राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। बिहार सरकार को 15.12.2025 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उनसे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 'फ्रीशिप कार्ड' शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

संलग्नक

पीएमएस-एससी योजना के तहत फ्रीशिप कार्ड के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2687, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) में संदर्भित संलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत जारी केंद्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या

केंद्रीय सहायता (रुपये लाख में)

वित-वर्ष		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29855	243823	37259	238915	20049.99	195269	60571	303298	51352	345389
2	असम	-	-	920	11140	1390.34	8426	874	12073	1813	23211
3	बिहार	-	-	3754	136340	2129.34	68975	2397	73615	4518	120957
4	चंडीगढ़	154	899	242	876	59.25	287	270	1253	287	1095
5	छत्तीसगढ़	2900	87464	4501	96267	3613.57	79237	3996	87675	5360	96839
6	दमन और दीव	-	-	20	98	-	-	-	-	-	-
7	दिल्ली	-	-	1367	7531	997.34	3160	2219	4692	2974	4950
8	गोवा	-	-	0.31152	1	4.31	34	8	58	0.91	7
9	गुजरात	10258	97697	22026	113531	38423.12	179116	39993	157584	28254	95585
10	हरियाणा	-	-	13158	87913	12058.49	70464	9489	55444	12791	55814
11	हिमाचल प्रदेश	-	-	1760	21502	2240.61	23959	3564	33149	1800	13260
12	जम्मू-कश्मीर	3	100	543	10097	468.21	7370	409	6567	419	6337
13	झारखंड	412	7805	1818	33922	3139.39	44610	4504	57784	3296	36966
14	कर्नाटक	6542	131448	34200	458548	42108.48	403965	42290	404008	33422	259550
15	केरल	4578	90866	5682	42521	11917.31	155319	16070	147531	7260	70128
16	मध्य प्रदेश	828	48270	33505	445319	36680.48	346289	48674	636303	49342	409056
17	महाराष्ट्र	6301	68576	35942	148573	165298.17	749317	92992	362808	109580	397924
18	मणिपुर	-	-	734	8988	193.94	2125	676	7938	436	5215
19	मेघालय	-	-	-	-	-	-	10	25	14	25
20	ओडिशा	7822	75530	33833	299369	12744.10	143861	18151	191873	31199	248213
21	पुदुचेरी	-	-	361	3904	285.47	2564	320	2694	224	1588
22	पंजाब	20976	152157	6281	40708	28486.98	199508	41042	294284	52561	267057
23	राजस्थान	9567	217176	24138	303252	14713.18	151922	18059	229002	22073	318555
24	सिक्किम	-	-	76	448	52.29	216	44	172	54	250
25	तमिलनाडु	27888	441672	72625	543772	71369.94	643761	103209	934793	103494	966840
26	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	21379	69680
27	त्रिपुरा	-	-	3892	22278	4093.43	16858	5161	19849	5422	19538
28	उत्तर प्रदेश	53728	868554	92600	1269634	67483.28	949934	36602	644827	61764	645967
29	उत्तराखंड	-	-	1259	27735	1293.69	23804	1969	26216	2014	26242
30	पश्चिम बंगाल	11226	493099	6336	273953	6248.09	268228	2663	108693	5593	247182
	कुल	**193038**	**3025136**	**438832.31**	**4647135**	**547542.79**	**4738578**	**556226**	**4804208**	**618695.91**	**4753420**
